



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

शेड नं. 6, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

टेली-फैक्स नं. 0141-2747039,

वेबसाइट:-www.jaipurdisc.com

ई-मेल:-caorb@jvvn.org

प्रशासन शाखा सूचना

क्र.जेपीडी/मुलेअ(रा.व.एवं बि.)/राजस्व/पत्रा. /प्रे. 1384 जयपुर, दिनांक:- 06/03/2019

व.लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (),
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,

..... ।

विषय :- मासिक एम. आई. एस. 3.1 एवं 3.2 के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि उपखण्ड स्तर पर एम.एस-14 इनपुट प्रविष्टि के विलम्ब से प्रविष्टि किये जाने के कारण निगम की मासिक एम. आई. एस. 3.1 व 3.2 एवं उस पर आधारित समस्त प्रकार की राजस्व सूचनाओं में भी अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप उपखण्ड स्तर पर प्रत्येक आगामी माह कि 5 तारीख तक एम.एस-14 इनपुट प्रविष्टि करवाने की व्यवस्था करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बिलिंग एजेन्सी द्वारा मासिक एम.आई.एस. 3.1 एवं 3.2 माह की 7 तारीख तक स्वतः ही अनिवार्य रूप से तैयार कर बिलिंग डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य निर्धारित समयानुसार किया जाना सुनिश्चित करें:-

क्र.सं.	आवश्यक कार्यवाही	समय-सीमा
1.	उपखण्ड स्तर पर एम.एस-14 इनपुट की प्रविष्टि।	आगामी माह की दिनांक 5 तक
2.	बिलिंग एजेन्सी द्वारा मासिक एम.आई.एस. 3.1 एवं 3.2 बिलिंग सॉफ्टवेयर पर रिपोर्ट्स में उपलब्ध करवाना।	आगामी माह की दिनांक 7 तक
3.	वृत्त लेखाधिकारी द्वारा सत्यापन।	आगामी माह की दिनांक 9 तक
4.	वृत्त लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित एम.आई.एस. 3.1 एवं 3.2 अनिवार्य रूप से कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (रा.व.एवं बि.), जेपीडी, जयपुर में उपलब्ध करवाना।	आगामी माह की दिनांक 10 तक

(के. सी. गुप्ता)

मुख्य लेखाधिकारी (रा.व.एवं बि.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियंता (पवस/जे.सी.सी./जे.पी.डी.सी.) जयपुर डिस्कॉम,..... ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/ कोटा/ भरतपुर।
3. प्रबंधक, बी.सी.आई.टी.एस. लिमिटेड. को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड स्तर पर आगामी माह की 5 तारीख तक एम.एस.-14 इनपुट प्रविष्टि न किये जाने पर मासिक एम. आई.एस. 3.1 एवं 3.2 आगामी माह की 7 तारीख तक स्वतः ही अनिवार्य रूप से तैयार कर बिलिंग सॉफ्टवेयर पर रिपोर्ट्स में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य लेखाधिकारी (रा.व.एवं बि.)